उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–160/ix-1/157(2010)/2014
देहरादूनः दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 2014

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली से–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है,

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है,

(ड) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,,

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रयुक्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(छ) "सेवा" से तात्पर्य उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा अभिप्रेत है,

(ज) "परिवहन आयुक्त" से परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम–(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ठ "क" में दी गयी है,

परन्तु यह है कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकेंगे या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,और

(ख) राज्यपाल समय समय पर ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जैसा वह उचित समझे।

भाग तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी–

परिवहन विभाग के ऐसे मुख्य सहायक जिन्होने इस रूप में 02 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो एवं प्रशासनिक अधिकारी, जो विधि स्नातक हो, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति से;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भरा जा सकताा है।

आरक्षण

6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हतायें

7 सेवा में सीधी भर्ती की दशा में यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या,

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो,

परन्तु, उपयुक्त श्रेणी "ख" या "ग" के अभ्यर्थी का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु, यह कि श्रेणी "ख" के अभ्यर्थी के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी "ग" का हो तो पात्रता का

प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8

सहायक अभियोक्ता के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

अधिमानी अर्हता 9

अभ्यर्थी जिसने–

(क) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाते है तो जिस वर्ष में भर्ती की जानी है उस वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाय तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष से और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अर्धमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12

ऐसा पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, अथवा ऐसी महिला पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय, ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकती है।

शारीरिक स्वस्थता 13

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा, यदि वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य नही है और किसी ऐसे

शारीरिक दोष से मुक्त नही है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा।

भाग–पाचं–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा 14 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 15 पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड समूह "ग" (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली 2003 या तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 16 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे

(क) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(ख) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
(ग) परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट, कोई अधिकारी जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न पद का न हो	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के कम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के कम में एक सूची तैयार करेगी, और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छ–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा ज्येष्ठता

नियुक्ति 17 (1) मौलिक नियुक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उसी कम से लेकर जिसमें उनके नाम यथा स्थिति नियम 15 या नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रिक्तियों में उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में से नियुक्तियां कर सकता है। यदि सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसे रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां 01 वर्ष की अवधि के लिए या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमे जो भी पहले हो, की

जा सकेगी।

परिवीक्षा **18**

(1) पद पर मौलिक रिक्ति में किये जाने पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढायी जाय परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक, किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षा अधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसे परिवीक्षा अधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण **19**

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बनाया जाय।

(ख) उसकी सत्यानिष्ठा–प्रमाणित कर दी जाये; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता **20**

सेवा में ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग–सात वेतन आदि

वेतन **21**

(1) सेवा में मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित होगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान " परिशिष्ठ क में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन **22**

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुए, भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसमें एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसके परिवीक्षा

अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मौलिक नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन ,राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 23

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनिमयों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 25

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाली किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनायी होती है, व उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 26

इस नियमावली के किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और रियायतों पर नही पडेगा जिनकी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

परिशिष्ट "क"

{कृपया नियम–4 का उपनियमम (2) तथा नियम 21 का उपनियम(2) देखें}

कम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान(₹ में)
1	2	3	4
1.	सहायक अभियोक्ता परिवहन	01(एक)	9300–34800,ग्रेड पे–4200